कार्यालय जिला कलक्टर दौसा

क्रमांक/संस्था/RPSC-II/लिपिकग्रेड–II/2018/1427 दिनांक 02/05/2018

–::नियुक्ति आदेश::–

संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार(अनुभाग–3) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक/प.1(6)प्र.सु./अनु.–3/2017 जयपुर दिनांक 05.03.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयेग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय , जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 के अनुपालना में अस्थायी परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किया गया। अधीनस्थ कार्यालयो/विभागों के लिए नवीनतम रूप से अस्थायी चयनित अभ्यार्थियों की सूची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गई में नियुक्तियां आवंटित पदों के सम्बन्ध में डी.बी. अपील संख्या 965/2017 लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेशों की अनुपालना में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अनुसरण में लिपिक ग्रेड द्वितीय(कनिष्ठ सहायक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यार्थियों में से जिनको लिपिक ग्रेड द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) के पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किया गया है उनमें से निम्नांकित अभ्यार्थियों को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत राजस्व विभाग जिला दौसा में लिपिक ग्रेड–द्वितीय के रिक्त पद के विरूद्व एतत् द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये नियुक्तियां निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन रहेगी।

क्र. स.	नाम अभ्यर्थी/पिता का नाम मय पता श्री/सूश्री/श्रीमती	जन्म दिनांक	श्रेणी	मेरिट नम्बर	रोल नं.	शैक्षणिक योग्यता	वि. वि
1.	सोनम अरोडा पुत्री श्री रमेश चन्द अरोडा, 11 लाजपत नगर, स्कीम न..–2, राजस्थान ग्रमीण बैंक के पास, अलवर	02.04.1989	सामान्य	1860	332221	स्नातक आर.एस.सी. आई.टी	

1. कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार नियत रूपये 14600/–प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा। परिवीक्षाकाल में इन्हे वेतन वृद्वि का लाभ देय नही होगा। परिवीक्षाकाल संतोष पूर्ण करने पर इन्हे पे–मेट्रिक्स लेवल–5 में रूपये 20800/– देय होगा जिस पर तद्नुसार तत्समय प्रभावी अन्य भत्ते भी देय होंगे। यदि इनका कार्य परिवीक्षा अवधि में संन्तोषजनक नही पाया जाता है तो इनकी सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी।
2. कार्मिक(क–2)विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प08(1)कार्मिक (प–2) 03 दिनांक 20.04.2004 के अनुसार पूर्व प्रचलित पेन्शन नियम लागू नहीं होंगे और उनके स्थान पर दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन देय होगी।
3. परिवीक्षा अवधि में सामान्य भविष्य निधि राज्य बीमा, अंशदान की कटौती नहीं की जावेगी।
4. परिवीक्षा काल अवधि में इन्हे पूर्ण कलैण्डर में 12 आकस्मिक अवकाश देय होगें परन्तु 01(एक) वर्ष की अवधि से कम होने पर प्रतिमाह अनुपातिक आधार पर आकस्मिक अवकाश की गणना की जाकर अवकाश देय होगें।
5. नियुक्ति पर कार्यग्रहण पर किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा, परन्तु स्थानान्तरण पर माईलज (मीलभत्ता) इन्सीडेन्टल चार्जेज एवं यात्रा व्यय नियत पारिश्रमिक पर देय होगा।
6. उक्त अभ्यार्थी के द्वारा कार्यग्रहण रिपोर्ट संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व सत्यप्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संबधित कार्यालयध्यक्ष मूल शैक्षणिक दस्तावेज से सत्यप्रति का मिलान कर मूल दस्तावेज अभ्यार्थी को लौटा देगें तथा फोटो प्रति दस्तावेजात व कार्यग्रहण रिपोर्ट इनकी निजी पत्रावली खोली जाकर संधारित की जावेगी।

7. अभ्यार्थि के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजियन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफामा में कार्मिक(क-2)विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकतानुसार।

8. यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण सन्तोषप्रद प्रमाणित होने की शर्त पर दी जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र पुलिस जॉच में संतोषप्रद प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दियें जायेंगे।

9. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त कार्मिक अपने पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने से पूर्व अपने स्वास्थ्य की जॉच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,दौसा से कराकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

11. उक्त नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर कार्यालयध्यक्ष को उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि राज्य सेवा में आने का इच्छुक नहीं है, ऐसी स्थिति में नियुक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

जिला कलक्टर
दौसा

क्रमांक/संस्था/RPSC-II/लिपिकग्रेड-II/2018/1428-37 दिनांक 02/04/2018

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग जयपुर।
2. उप शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, जयपुर।
4. निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के उपस्थित होने पर उसके स्वास्थ्य की जांच कर, नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करें।
6. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा कलक्ट्रेट दौसा।
7. कोषाधिकारी दौसा।
8. एन लिस्ट कम-प्रौग्रमर (उपनिदेशक) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, दौसा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति आदेश को दौसा जिले की वेबसाईट पर अपलोड करावें एवं साथ ही एस.एम.एस द्वारा अभ्यर्थी का सूचित किये जाने की व्यवस्था करावें।
9. संबंधित... मोनिका अरोड़ा पुत्री श्री रमेश चन्द्र अरोड़ा 11 लाजपत नगर, स्कीम नं-2
10. आदेश/गार्ड फाईल/निजी पत्रावली। राजस्थान प्रशिक्षण केन्द्र के पास अलवर

अति० जिला कलक्टर
दौसा

संस्थापन शाखा